न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2024/2004/नागौर

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जायल जिला नागौर।

------ अपीलांट

बनाम

1- भगवानाराम पुत्र श्री झूमरराम,

2- पूर्णाराम पुत्र श्री झूमरराम कौम जाट निवासी ग्राम कसनाऊ, तहसील जायल, जिला नागौर।

------- रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थितः-
(1) श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, उप राजकीय अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री वी0एस0 राठैड़, अधिवक्ता रेस्पो0।

निर्णय **दिनांक :- 10.02.2022**

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील सं0 62/2003 बउनवानी भगवानाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 31-03-2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 ने विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस0डी0ओ0) जायल के समक्ष एक राजस्व वाद घोषणा खातेदारी एवं रेकार्ड दुरूस्ती का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण का एक खेत खसरा नं0 631 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा का मौजा मातासुख में आया हुआ है तथा मौके पर यह खेत 16 बीघा 2 बिस्वा है। भू-प्रबन्ध अधिकारियों की भूल से इस खसरा नं0 631 का रकबा कम दर्ज किया गया है। पीढ़ियों से इस खेत पर कब्जा काश्त वादीगण एवं वादीगण के पिता का 16 बीघा 2 बिस्वा पर है। प्रश्नगत खेत के चारों तरफ पुरानी सीवें पीढ़ियों से रहती चली आई है। खेत खसरा नं0 631 के नक्शा के अनुसार नाप 16 बीघा 2 बिस्वा आया हुआ है। इस मुतदाविया खेत के चारों तरफ खातेदारी के खेत है एवं पड़ोस के खेताय का

अपील/डिक्री/टीए/2024/2004/नागौर

सरकार बनाम भगवानाराम

रकबा सही है। प्रश्नगत खेत का रकबा कम दर्ज है जिसका ज्ञान अभी हाल रेकार्ड देखने से पता चला है। अतः वादीगण को मौजा मातासुख का खेत खसरा नं0 631 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा के कब्जा काश्त एवं खातेदारी में घोषित किया जाकर रेकार्ड दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवाया जावें। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया लेकिन बावजूद सूचना प्रतिवादी अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर वादीगण के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनकर दिनांक 29-7-2003 को वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज कर दिया जिस निर्णय दिनांक 29-7-2003 से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स की ओर से प्रथम अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिन्होंने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31-03-2004 को अपील अपीलांट स्वीकार कर खेत खसरा नं0 631 वाके मातासुख तहसील जायल के 6 बीघा 2 बिस्वा के बजाय 16 बीघा 2 बिस्वा का खातेदार घोषित कर दिया गया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 31-03-2004 से व्यथित होकर अपीलांट सरकार की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4- योग्य उप राजकीय अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने पूर्ण रूप से जो दस्तावेज पेश हुए उनके आधार पर वादी का वाद खारिज किया गया था। भू-प्रबन्ध से पूर्व उसके पुराने नंबर 594 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा व 592 मिन रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा थे जो विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे एवं इस आधार पर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने यह माना कि इसके अलावा ऐसी कोई ठोस शहादत रेकार्ड पर नहीं है जिससे कि यह माना जावें कि खसरा नं0 631 का रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा रहा हो। मौखिक साक्ष्य होने से रेकार्ड दुरूस्त नहीं किया जा सकता है, जो तथ्य विद्वान परीक्षण न्यायालय का सही था किन्तु विद्वान अपीलीय न्यायालय के द्वारा बिना किसी आधार के गलत तथ्यों पर जाकर निर्णय पारित किया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना कि नये खसरा नं0 631 का पुराना नं0 593 एवं

अपील/डिक्री/टीए/2024/2004/नागौर

सरकार बनाम भगवानाराम

592 है जबकि रेकार्ड के अनुसार पुराना नंबर 593 एवं 592 मिन है क्योंकि खसरा नं0 592 का काफी बढ़ा रकबा था। चूंकि खसरा नं0 631 जिसका कि रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा था वह राज0 स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि0 उदयपुर के द्वारा खान कार्य हेतु अवाप्त किया जा चुका है एवं अवाप्ति के समय भी मौजूदा रेस्पो0 के द्वारा इस तरह का कोई ऐतराज नहीं लिया गया एवं उसके आधार पर मुआवजा राशि भी ले ली थी। अब वर्तमान दावे की आड़ में मौजूदा रेस्पो0 मुआवजा लेने की गरज से इस प्रकार का वाद लेकर आये हैं। वर्तमान में खसरा नं0 631 राज0 स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल लि0 के नाम जरिये नामान्तरकरण सं0 669 दिनांक 26-01-2003 के द्वारा अंकन कर इन्द्राज जमाबन्दी में भी कर दिया गया है। इस प्रकार विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31-3-2004 गलत है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-03-2004 अपास्त करते हुए विद्वान सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-07-2003 बहाल रखा जावें।

5- प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपीलांट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क दिये कि विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर विस्तृत विवेचन करते हुए विधिसम्मत एवं कानून सम्मत निर्णय पारित किया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय में रेस्पो0 ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा भू-अभिलेख निरीक्षक तरनाऊ की जांच रिपोर्ट से यह प्रमाणित किया है कि खसरा नं0 631 पुराने खसरा नं0 593 व 592 से बना है। खसरा नं0 592 का रकबा काफी बड़ा रकबा था जो सरकारी भूमि थी। साबिक व सम्वत् 2002 व हाल नक्शें से मिलान करने से यह स्पष्ट है कि खसरा नं0 631 वाला खेत साबिक खसरा नं0 593 व 592 से ही बना है जो मौके पर 16 बीघा 2 बिस्वा है। खसरा नं0 631 का सम्वत् 2020 में हुए बन्दोबस्त में रकबा कम दर्ज किया गया है तथा इस खसरे के क्षेत्रफल संबंधी किये गये इन्द्राज सही नहीं है। अतः विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय व डिक्री जारी की है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट काबिज खारिज योग्य है।

6- हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर मनन किया व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं

अपील/डिक्री/टीए/2024/2004/नागौर

सरकार बनाम भगवानाराम

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7- विद्वान सहायक कलक्टर, (एस0डी0ओ0), जायल ने अपने निर्णय दिनांक 29-7-2003 में अंकित किया कि वादीगण ने वाद की ताईद में रेकार्ड ठोस सबूत पेश नहीं किये है। अतः वादीगण का वाद ठोस सबूत के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने अपने निर्णय व डिक्री में माना कि अपीलांट द्वारा की गई मौखिक साक्ष्य से प्रकट होता है कि अपीलांट के खेत खसरा नं0 631 का रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा के बजाय 16 बीघा 2 बिस्वा चला आ रहा है। बन्दोबस्त अधिकारियों ने भूलवश खसरा नं0 631 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा के बजाय 6 बीघा 2 बिस्वा दर्ज कराया है। अपीलांट को खेत खसरा नं0 631 वाके ग्राम मातासुख तहसील जायल के 16 बीघा 2 बिस्वा रकबे का खातेदार घोषित किया जाकर चालू खतौनी व वर्तमान नक्शें में अपीलांट के कब्जे अनुसार दुरूस्त की जाकर खसरा नं0 631 का रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा रेकार्ड में दुरूस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलांट को खेत खसरा नं0 631 वाके मातासुख तहसील जायल के 6 बीघा 2 बिस्वा के बजाय 16 बीघा 2 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाता है।

8- अपील के आधारों के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि नकल जमाबन्दी खतौनी ईएक्सपी-1 ग्राम मातासुख पट्वार क्षेत्र टेहरी तहसील जायल जिला नागौर सम्वत् 2056 से 2059 में खसरा नं0 631 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भगवानाराम पूर्णाराम पि. सुमरराम कौम जाट सा0 कसनाऊ खातेदार दर्ज है जो वादी के नाम दर्ज है। मौका रिपोर्ट दिनांक 8-8-2001 ईएक्सपी-2 भू-अभिलेख निरीक्षक तरनाऊ द्वारा बनाई गई है जिसके अनुसार खसरा नं0 631 निम्न नक्शानुसार खेत 16/16 बीघा 2 बिस्वा अभी मौजूद हुआ है जबकि ट्रेस नक्शा का नाम करने पर नाप 12 बीघा 2 बिस्वा ही बनता है जबकि रेकार्ड में 6 बीघा 2 बिस्वा दर्ज है।

नकल मिलान क्षेत्रफल मौजा मातासुख तहसील जायल ईएक्सपी-3 में वर्तमान खसरा नं0 631 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा गत खसरा नं0 593 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा तथा खसरा नं0 592 मिन रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा से बनना अंकित है।

अपील/डिक्री/टीए/2024/2004/नागौर

सरकार बनाम भगवानाराम

जांच रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक तरनाऊ दिनांक 28-5-2003 ईएक्सपी-4 में अंकित है कि-

1- मौजा मातासुख के हाल खसरा नं0 632 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा जिसके गत खसरा नं0 593 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नं0 593 में से रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा था। सम्वत् 2002 के नक्शा ट्रेस से खसरा नं0 592 का रकबा पैमाने से नाम करने पर 10 बीघा 2 बिस्वा होता है, खसरा नं0 593 का नक्शा ट्रेस पूरा नहीं होने से रकबा निकालना सम्भव नहीं है।

2- वर्तमान में खसरा नं0 631 का रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा तथा खसरा नं0 630 का रकबा 143 बीघा है।

3- गत व वर्तमान नक्शों में खसरा नं0 631 जिसके साबिक नंबर 593 है का नक्शा त्रिभुजाकार है। मगर अभी मौके पर खसरा नं0 631 के चार भुजा हैं तथा उत्तरी माठ नक्शें में सीधी है, मगर मौके पर उत्तरी माठ में मोड़ आया हुआ है।

4- इस प्रकार खसरा नंबर पुराने 593 का रकबा नक्शेंनुसार पैमाने से 10 बीघा 2 बिस्वा व साबिक खसरा नं0 592 में से 1 बीघा 18 बिस्वा मिलाकर कुल रकबा 12 बीघा बनता है।

जिससे स्पष्ट है कि रेकार्ड में वादीगण के नाम खसरा नं0 631 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा अंकित है जो मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नं0 593 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा तथा खसरा नं0 592 मिन रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा से बना है, अर्थात सैटलमेन्ट के पूर्व में भी 2 खसरा नंबरान को मिलाकर रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा ही था। मौका रिपोर्ट दिनांक 8-8-2001 में नक्शा ट्रेस का नाप 12 बीघा 2 बिस्वा बताया है तथा जांच रिपोर्ट दिनांक 28-5-2003 में अंकित है कि दोनों खसरा नंबरान को मिलाने से कुल रकबा 12 बीघा बनता है। इस प्रकार दोनों मौका रिपोर्ट में नाप में भिन्नता है। वादीगण ने ऐसी कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यह साबित हो कि रेकार्ड में रकबा वादीगण के नाम अंकित 6 बीघा 2 बिस्वा से अधिक रकबा किन खसरा नंबरान का है। वादीगण द्वारा कब्जे काश्त के संबंध में कोई खसरा गिरदावरी पेश नहीं की गई है जिससे प्रत्यर्थी/वादीगण अपना वाद सिद्व नहीं कर पाये हैं।

अपील/डिक्री/टीए/2024/2004/नागौर

सरकार बनाम भगवानाराम

9- उपरोक्त से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद सिद्व नहीं कर पाने के कारण विद्वान सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) जायल द्वारा दिनांक 29-7-2003 को वादीगण का वाद ठोस सबूत के अभाव में विधिसम्मत रूप से खारिज किया गया है।

10- विद्वान अपीलीय न्यायालय ने आर0आई0 तरनाऊ की रिपोर्ट तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपील स्वीकार कर अपीलांट को खेत खसरा नं0 631 वाके मातासुख तहसील जायल के 6 बीघा 2 बिस्वा के बजाय 16 बीघा 2 बिस्वा का खातेदार घोषित किया है जबकि मौका रिपोर्ट व जांच रिपोर्ट में खेत खसरा नंबरान के नाप में ही भिन्नता है। अपीलांट/वादीगण द्वारा खसरा नंबर 631 का रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा होने के बजाय 16 बीघा 2 बिस्वा होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं।

जिससे स्पष्ट है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31-3-2004 विधिसम्मत नहीं होकर काबिल खारिजी है।

11- अपीलांट द्वारा अपील का एक आधार यह है कि खसरा नं0 631 जिसका कि रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा था वह राज0 स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि0 उदयपुर के द्वारा खान कार्य हेतु अवाप्त किया जा चुका है एवं अवाप्ति के समय भी मौजूदा रेस्पो0 के द्वारा इस तरह का कोई ऐतराज नहीं लिया गया एवं उसके आधार पर मुआवजा राशि भी ले ली थी। अब वर्तमान दावे की आड़ में मौजूदा रेस्पो0 मुआवजा लेने की गरज से इस प्रकार का वाद लेकर आये है जो साफ रूप से उनकी नियत को दर्शाता है। राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा उनके समक्ष यह कहने के बावजूद रेकार्ड के विपरीत जाकर जो निर्णय पारित किया गया है, वह काबिल निरस्तनीय है।

12- इस आधार/कथन के संबंध में नकल जमाबन्दी ग्राम मातासुख भू-अभिलेख निरीक्षक तरनाऊ तहसील जायल जिला नागौर सम्वत् 2056 से 2059 में लाल स्याही से अंकन है कि नामान्तरकरण सं0 669/26-1-2003 द्वारा आदेश खसरा नं0 631 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा लगान 3-05 रू0 राज0 स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि0 उदयपुर के पक्ष में स्वीकृत। इस दस्तावेज के खण्डन में प्रत्यर्थी/वादीगण द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजी वर्तमान में प्रत्यर्थी/वादीगण के नाम नहीं होकर राज0 स्टेट माईन्स एण्ड

अपील/डिक्री/टीए/2024/2004/नागौर

सरकार बनाम भगवानाराम

मिनरल्स लि0 उदयपुर के नाम है जिससे अपील के उक्त आधार की पुष्टि होती है।

13- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31-03-2004 खारिज किया जाता है एवं विद्वान सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0), जायल के निर्णय दिनांक 29-07-2003 यथावत रखा जाता है।

14- पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालयों का रेकार्ड लौटाया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य